<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 28.05.2021</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह सम्पन्न, 97 रिक्रूट आरक्षी सफलतापूर्वक हुए पास आउट, विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 15 आरक्षी हुए पुरस्कृत</u>

पुलिस लाइन खीरी में प्रचलित रिक्रूट आरक्षियों का 06 माह का प्रशिक्षण सकुशल सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आज दिनांक 28.05.2021 को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड में कुल 97 आरक्षीगण पास आउट हुए।

समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया गया तथा मान प्रणाम लिया गया। तत्पश्चात इंडोर व आउटडोर परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 आरक्षीगण को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अन्तः विषयों में रिक्रूट आरक्षी अभय विश्नोई, बाह्य विषयों में रिक्रूट आरक्षी हिमांशु कुमार, साक्षात्कार में रिक्रूट आरक्षी भुवनेश कुमार ने सार्वधिक अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं रिक्रूट आरक्षी अभय विश्नोई द्वारा संपूर्ण योग में सार्वधिक अंक लाकर सर्वांग/सर्वोत्तम का पुरस्कार प्राप्त किया गया।

कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेहनत, लगन व समर्पण से कार्य करते हुए पुलिस की छवि उज्ज्वल बनाये रखने में अपना श्रेष्ठ योगदान करने हेतु प्रेरित किया गया।

<u>पुलिस द्वारा लूट की घटना का 12 घंटे के अंदर किया गया सफल अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, पूरा माल बरामद</u>

दिनांक 27.05.2021 को थाना कोतवाली सदर पर सूचना प्राप्त हुई कि सहीद खां पुत्र सगीर खां निवासी ग्राम गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी जो कि अपनी मैजिक गाड़ी से सामान ढोने का काम करते हैं, उन्हें बीती रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन करके मैजिक लेकर सुनसान स्थान पर बुलाया गया तथा उनसे उनका मोबाइल, 750 रूपये नगदी एवं मैजिक गाड़ी छीन कर ले गए। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली सदर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा घटना को गंभीरता से लेकर क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन कर घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास से एवं सर्विलांस व ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता से 12 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं सहीद खां की छीनी गई मैजिक गाड़ी एवं उसका मोबाइल बरामद किया गया है। अभियुक्तों की जामातलाशी में उनके पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस भी बरामद हुआ है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1.प्रिन्सदीप सिंह पुत्र सलवेन्द्र सिंह निवासी बेनीगंज जनपद हरदोई।
2.विजय गौतम पुत्र अनीरूद्ध कुमार निवासी ओड़ाझार कोतवाली बेनीगंज जनपद हरदोई।
3.मान सिंह गौतम पुत्र छोटेलाल निवासी ओड़ाझार कोतवाली बेनीगंज जनपद हरदोई।
4.मंदीप सिंह पुत्र मुख्तार सिंह निवासी भोरापुर थाना बघौली जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस
01 अदद मैजिक यूपी 31 एटी 6112
02 अदद मोबाइल
घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल

<u>थाना गोला पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त छोटू उर्फ सन्तोष को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारंटी/ संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.05.21 को मु0अ0सं0 633/19 धारा 376डी/342/366 भादवि में वांछित अभियुक्त छोटू उर्फ सन्तोष पुत्र कल्लू नि0 बक्खारी थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा गया।

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त रामलोचन को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के आज दिनांक 28.05.21 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त रामलोचन पुत्र महावीर निवासी ग्राम लौकी पिपराछीट थाना फरधान जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामलोचन पुत्र महावीर निवासी ग्राम लौकी पिपराछीट थाना फरधान जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

थाना चन्दन चौकी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रामसरन पुत्र चेतराम को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारंटी/ संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चन्दन चौकी पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.05.21 को मु0अ0सं0 198/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना पलिया में वांछित अभियुक्त रामसरन पुत्र चेतराम नि0 दौलतापुर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारंटी/ संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.05.21 को मु0अ0सं0 138/21 धारा 354/452 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों 1. मो0 अरशद पुत्र रफीक 2. दीन मोहम्मद पुत्र सकूर 3. मुकीम पुत्र सिराजुद्धीन नि0गण ग्राम कसरावल थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा गया।

थाना कोतवली सदर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त सलीम पुत्र बाबू को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारंटी/ संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 464/21 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त सलीम पुत्र बाबू निवासी मुस्लिम नगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>**वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/21 धारा 272 भादवि व 60(2) एक्ट में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र जैनम निवासी बीवीपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97/21 धारा 363/366/376 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम एक्ट में वांछित अभियुक्त रिंकू पुत्र जगमोहन निवासी कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

- थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 93/21 धारा 279/304ए भादवि व 184 एम वी एक्ट में वांछित अभियुक्त रामकुमार पुत्र देवतादीन निवासी नकहा पिपरी थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

- थाना सिंगाही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 147/21 धारा 323/332/353/504 भादवि में वांछित अभियुक्त मौ0 हुसैन पुत्र स्व0 लतीफ निवासी बुजहनपुरवा थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

- थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 616/20 धारा 324/326/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्रपाल पुत्र भगवती प्रसाद निवासी बेल्हरी थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>114 लीटर अवैध कच्ची शराब</u>** **<u>एवं 02 शराब भट्ठी</u>** बरामद कर **<u>05अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना पसगवां	70 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना हैदराबाद	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैलानी	14 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	114 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार